



Neutral Citation No.-2026:AHC:7851

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-39740 वर्ष 2024

सर्तेंद्र यादव @ सर्तेंद्र यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कुमार आशुतोष श्रीवास्तव, मशालुद्दीन शाह, नागेंद्र बहादुर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, जय शंकर तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. संशोधित कॉल में भी सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।
2. श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता श्री मशालुद्दीन शाह, आवेदक के अधिवक्ता और श्री अरुण कुमार मिश्रा, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से 2024 के केस अपराध संख्या-39, भ०द०वि० की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-बांकाटा, जिला: देवरिया के तहत जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और प्राथमिकी में आरोप लगाए गए अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की शादी वर्ष 2013 में सूचनाकर्ता की भतीजी से हुई थी, और उक्त विवाह में से तीन बच्चे पैदा हुए थे, जिनकी आयु वर्ष 2024 में हुई कथित घटना के समय क्रमशः लगभग 9, 6 और 4 वर्ष थी।
5. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 23.02.2024 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि मृतक की मृत्यु का कारण शव परीक्षण से पहले गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। मृतक की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर में ही हो गई है। आवेदक, उसका पति होने के नाते, मुख्य आरोपी व्यक्ति है, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 29.11.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आठ गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और अ०सा०-8 की जिरह चल रही है, इस प्रकार, मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय, और आगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु का कारण पूर्व-मॉर्टम गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है, जो आवेदक के घर के परिसर के भीतर हुआ था, इस तथ्य के साथ कि आवेदक, मृतक का पति होने के नाते, मुख्य आरोपी है, और यह कि मुकदमा अपने निर्णायक चरण में है, यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में



निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 13, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)